speed post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 05/11/2018

File No. RSM/3/2018/MHRD2/SEHRMT/RU-III

सेवा में,

1. आयुक्त,
नवोदय विद्यालय समिति,
बी – 15, संस्थागत क्षेत्र,
सेक्टर – 62, नोएडा,
उत्तर प्रदेश – 201307

2. उपायुक्त,
नवोदय विद्यालय समिति,
18, संग्राम कॉलोनी, सी स्कीम,
महावीर मार्ग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, (राजस्थान)

विषयः दिनांक 30.10.2018 को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आयुक्त, उपायुक्त एवं प्राचार्या नवोदय विद्यालय समिति के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 30.10.2018 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर. के. दूबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री आर.एस.मीणा
ग्राम पोस्ट – बनेठा,
तहसील – उनियारा,
जिला – टोंक (राजस्थान)

2. एस.ए.एस. एन.आई.सी. एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RSM/3/2018/MHRD2/SEHRMT/RU-III)

श्री राधेश्याम मीना, (कला अध्यापक), ग्राम+पोस्ट- बनेठा, तहसील- उनियारा, जिला- टोंक, राजस्थान के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय, सिरसा हरियाणा मे प्राचार्य और अन्य कर्मचारियों द्वारा उनके और उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि	:	30.10.2018
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री श्री राधेश्याम मीना, (कला अध्यापक), ग्राम+पोस्ट- बनेठा, तहसील- उनियारा, जिला- टोंक, राजस्थान ने जवाहर नवोदय विद्यालय, सिरसा हरियाणा मे प्राचार्य और अन्य कर्मचारियों द्वारा उनके और उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले मे आयोग को अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 18.10.2018 को एक सीटिंग नोटिस जारी कर पुलिस अधीक्षक, सिरसा; आयुक्त जवाहर नवोदय विद्यालय तथा प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, सिरसा को आयोग मे बैठक के लिए दिनांक 30.10.2018 को बुलाया।
3. आयोग में चर्चा के लिए श्री बी. के. सिंह, आयुक्त जवाहर नवोदय विद्यालय; श्री बी.एल. मोरोडिया, उप आयुक्त जवाहर नवोदय विद्यालय; श्रीमती सुनीता शर्मा,

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission ...

प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्‌यालय, सिरसा तथा श्री किशनलाल, डीएसपी, सिरसा उपस्थित हुए।

4. आयोग ने अभ्यावेदक को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा। अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक जवाहर नवोदय विद्‌यालय, सिरसा मे कला अध्यापक है। विद्‌यालय की प्राचार्य और अन्य कर्मचारियों द्‌वारा उनके और उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कई तरह से उन्हे परेशान किया जाता है। उन्हे गलत आरोप मे बर्खास्त भी कर दिया गया है जिसमे उनका कोई दोष प्रमाणित नही हुआ है।

5. आयोग ने उपस्थित अधिकारियों से इस विषय में जानना चाहा। आयुक्त जवाहर नवोदय विद्‌यालय तथा प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्‌यालय ने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक गलत आरोप लगा रहे हैं। इनके साथ किसी तरह का भेदभाव या परेशान नही किया जाता है। आयोग ने उनकी बर्खास्तगी का कारण जानना चाहा। इस पर अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि विद्‌यालय की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से अभ्यावेदक के ई मेल से शिकायत की गई थी। इसकी जांच जिला उपायुक्त के निर्देश के आलोक मे सिरसा के दो राजकीय विद्‌यालयों के प्राचार्य की समिति ने जांच कर रिपोर्ट दी। इसके आधार पर उन्हे बर्खास्त किया गया है। आयोग ने जानना चाहा कि अभ्यावेदक के ई मेल से की गई शिकायत का प्रमाण उनके पास है? इस पर अधिकारियों द्‌वारा प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया और ना ही कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया।

6. इस प्रकरण पर दोनों पक्षों को सुनने, तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात आयोग ने अभ्यावेदक के निलंबन को उचित नही माना। क्योंकि इसके लिए पर्याप्त कारण और प्रमाण नही है। अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि अभ्यावेदक का निलंबन तत्काल निरस्त कर उनकी नियुक्ति की जाय और उन्हे उनके घर के निकट किसी विद्‌यालय मे स्थानांतरित किया जाय। इस संबंध मे की गई कार्यवाही और प्रगति रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आयोग को भिजवाई जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RSM/3/2018/MHRD2/SEHRMT/RU-III)

श्री राधेश्याम मीना, (कला अध्यापक), ग्राम+पोस्ट- बनेठा, तहसील- उनियारा, जिला- टोंक, राजस्थान के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय, सिरसा हरियाणा मे प्राचार्य और अन्य कर्मचारियों द्वारा उनके और उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंगउपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री ललित लट्टा, निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डीसी कटोच, परामर्शक

जवाहर नवोदय विद्यालय के अधिकारी

1. श्री बी. के. सिंह, आयुक्त जवाहर नवोदय विद्यालय;
2. श्री बी.एल. मोरोडिया; उप आयुक्त जवाहर नवोदय विद्यालय;
3. श्रीमती सुनीता शर्मा, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, सिरसा
4. श्री किशनलाल, डीएसपी, सिरसा श्री आशीष कुमार, उप निदेशक (प्रशासन)

अभ्यावेदक

1. श्री राधेश्याम मीना